



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र, 1947 (श०)

संख्या - 162 राँची, सोमवार,

7 अप्रैल, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

4 मार्च, 2025

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1267—झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राजेन्द्र चौधरी (वरी.क्र.-707), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1268—झारखण्ड सचिवालय सेवा के मो. वशीर अहमद (वरी.क्र.-708), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1269--झारखण्ड सचिवालय सेवा के **श्री अश्विनी कुमार लाल दास** (वरी.क्र.-709), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1270--झारखण्ड सचिवालय सेवा के **श्री मनोज कुमार** (वरी.क्र.-710), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1271--झारखण्ड सचिवालय सेवा के **श्री कृष्ण कुमार** (वरी.क्र.-711), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1272--झारखण्ड सचिवालय सेवा के **श्री राजीव रंजन तिवारी** (वरी.क्र.-712), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहाकरिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहाकरिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1273--झारखण्ड सचिवालय सेवा के **श्री विपिन कुमार** (वरी.क्र.-713), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), क ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1274--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री राजीव कुमार (वरी.क्र.-714), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1275--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सुशील कुमार (वरी.क्र.-715), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1276--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री मदन मोहन झा (वरी.क्र.-716), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), जल संसाधन विभाग के तहत मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई दुमका को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग के तहत मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई दुमका में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1277--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री मिथिलेश कुमार नीरज (वरी.क्र.-877), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1278--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री शिव कुमार चौधरी (वरी.क्र.-882), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन निदेशालय), झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैण्ड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन निदेशालय), झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1279--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री घनश्याम प्रसाद (वरी.क्र.-944), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-4/प्रोन्नति-201/2016 (खण्ड) का. 1280--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री घनश्याम प्रसाद सिंह (वरी.क्र.-948), अवर सचिव (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे. रु. 6600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-11), उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को उप सचिव कोटि (पी.बी.-III, पे. बैंड रु. 15600-39100/-, ग्रेड पे.- रु. 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को उप सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची में उप सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2697 दिनांक-11.10.2019 के अनुसार "FR 22(1)(A)(1) के तहत आदेश/अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर विकल्प का चयन कर वेतन-निर्धारण प्रोन्नति की तिथि से अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से कराया जा सकता है ।

3. प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के प्रावधानों के आलोक में प्रोन्नत पद पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा ।

4. यह प्रोन्नति W.P.(S) No.-.6426/2024 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रवि आनन्द,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
